

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 59/2023 निगरानी प्रकरण में  
प्रार्थना पत्र (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी)

- |  |      |   |
|--|------|---|
| 1. बदामी देवी पत्नि उगमलाल जाट<br>निवासी इणानी खेडा, सोडार<br>तहसील हुरडा जिला भीलवाडा | बनाम | 1. लेहरूलाल जाट पिता पन्नालाल जाट<br>निवासी इणानी खेडा, सोडार तहसील<br>हुरडा जिला भीलवाडा |
|  |      | 2. ग्राम पंचायत सोडार जरिए सरपंच<br>ग्राम पंचायत सोडार तहसील हुरडा<br>जिला भीलवाडा        |

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थनापत्र  
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 जा०दी

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामदयाल जाट, अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 से



## निर्णय

दिनांक 06.02.2026

प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 जा.दी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 पक्ष में जारी पट्टा सही होकर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनक्रम में निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में निगराकार ने पट्टा क्रमांक 19/1999/2000 के तहत दिनांक 30.11.1999 को 6562.5 वर्गफीट अर्थात् 729.16 वर्गगज के भूखण्ड का जो पट्टा जारी किया गया वह नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पट्टे के दक्षिण में निगराकार की खातेदारी भूमि है तथा पडोस भी निगराकार के पति उगमा जाट का है। पट्टे शुदा भूभाग निगराकार के खातेदारी भूमि से लगता हुआ है। कब्जा निगराकार व उसके पति का जीवनकाल से ही चला आ रहा है तथा उक्त भू-भाग से होकर आम सडक आवागमन हेतु है, ऐसी स्थिति में पट्टा शुदा भू-भाग किसी भी स्तर पर रिक्त नहीं था, पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था, मिलीभगती से जारी किया गया है। वि-1 ने विपक्षी

  
अति जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

स-2 के कार्यालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि बाड़े का पट्टा की आवश्यकता है तथा 10 साल का कब्जा होने से उसे पट्टा दिलाया जाए। किन्तु नियम 157 के तहत कब्जा 50 सालों का होना चाहिए जो नहीं होने से खारिज योग्य है। वि-1 सरकारी कर्मचारी है तथा पट्टे शुदा भूखण्ड पर कोई निर्माण/मकान नहीं है एवं न ही कोई बिजली व नल कनेक्शन है। कार्यवाही बिना मौका पर्चा व बिना सूचनापत्र के की गई। पंचायत की आदेशिका दिनांक 05.10.1999 के अनुसार भी कितने फिट का पट्टा कितने रूप में जारी किया का कोई अंकन नहीं है। कार्यवाही संदिग्ध है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण बाबत 300 वर्गगज अर्थात् 2700वर्गफिट तक का पट्टा जारी किया जा सकता है किन्तु हस्तगत पट्टा 6562.5 वर्गफिट का नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है। हाल ही में विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगराकार के कब्जे उपयोग उपभोग में उक्त पट्टे को बताते हुए बेदखल करने पर आया तब तत्काल पंचायत से प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा वि-1 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा 1999 में जारी किया गया व विधि अनुरूप है जिसकी निगराकार को प्रारम्भ से ही जानकारी है, लेकिन उक्त पट्टा जारी होने के 24 वर्षों बाद उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होकर खारिज योग्य है। निगराकार द्वारा उक्त पट्टे की जानकारी कब हुई का अंकन नहीं किया एवं न ही धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रा०पत्र पेश किया, जिससे निगरानी मियाद बाहर है। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा उक्त जायदाद को निगरानी पेश करने के करीब 8 वर्ष पूर्व ही श्रीमती सन्जू पत्नी यशपाल जाट निवासी ईनाणी खेडा को दिनांक 21.04.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए विक्रय की जा चुकी है। गैर निगराकार संख्या 1 का कोई अधिकार व स्वतव नहीं है। जिसकी जानकारी निगराकार को है, इसके बावजूद तथ्य छिपाकर गैर निगरा-1 के विरुद्ध निगरानी पेश की है। मामले में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पंजीयन हो चुका है, जिसको बिना सिविल न्यायालय में



6.2.26  
अति जिला कलक्टर  
मूलवाड़ा

चैलेज किए, उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पश्चात् यह पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा मियाद बाहर होने के साथ साथ उपपंजीयक हुरडा से पंजीयन होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से Further विक्रय हो चुका है। प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड के संबंध में Further sold रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने के अधिकार सिविल न्यायालय को होकर उक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है।  
अतएव—

## आदेश

निगराकार की ओर से निगरानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम में प्रस्तुत 07आर11 सपटित धारा 151 जा०दी० का प्रार्थना पत्र प्रश्नगत पट्टे के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से Further विक्रय हो जाने से श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने से, स्वीकार किया जाकर, निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोडार तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
जिला भीलवाड़ा कलक्टर  
भीलवाड़ा